तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 374/2021	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2022	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा निवासी ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.11.2021 में उसके द्वारा (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा का वर्ष 2010–2011 से 2014–2015 निममानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां उपलब्ध करवाने व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के सरकारी वाहन गाड़ी नम्बर RJ19UB6144, का वर्ष 2017–18 का फिटनेस एवं प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र (PUC) की नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) से जरिये पत्रांक 515 दिनांक 29.12.21 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का प्रतिउत्तर जरिये पत्रांक 3567 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सूचित किया गया कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का सृजन वर्ष 2013 में हुआ है तथा वर्ष 2013 से 2014–15 तक जोधपुर में पदस्थापित उच्च अधिकारियान महोदय द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा का 03 निरीक्षण किये गये है निरीक्षण प्रतिवेदन के कुल 11 पृष्ठ है, प्रति पृष्ठ 2/– रूपये के हिसाब से 22/– रूपये जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर पेश करें। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचना बाबत् सूचना शुल्क राशि 22/– रूपये जमा कराने पर पत्र एक माह पश्चात् ज़ारी किया गया। अतः एक माह पश्चात् सूचना निशुल्क देने का प्रावधान है। बिन्दु संख्या–2 से संबंधित सूचना बाबत् वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या–एक से संबंधित सूचना निःशुल्क दी जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	